



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012026-269175  
CG-DL-E-07012026-269175

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2026/पौष 17, 1947

No. 91]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2026/PAUSHA 17, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

का.आ. 101(अ).—केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात् “आयकर अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (पैन: AAALG1185A) को अधिसूचित करती है, (इसमें इसके पश्चात् “निर्धारिती” के रूप में संदर्भित), जो उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 ऑफ 1976) के अंतर्गत गठित एक प्राधिकरण है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, इस शर्त के अधीन कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजन के साथ उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (यूपी अधिनियम संख्या 1976 का 6) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहे।

[अधिसूचना सं. 05 /2026/फा. सं. 300195/38/2025-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।